।। श्री गणेशाय नमः ।।

800

(7)

31/11

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182131

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम....मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 3.816 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4
4. सम्पत्ति का प्रकार :–कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन...नहीं
6. बोरिंग / कुंआ / अन्य.नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 1500000 / –.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 1500000 / –रूपये
9. स्टाम्प देय 150000 / –रूपये
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 600000 / –रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 39 क्रमांक 1 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –द्वितीय

नि. रतनलाल

Agrawal

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182130

(2)

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

रतनलाल पुत्र श्री कुन्दन निवासी ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी भौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा

रतन लाल

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182129

17 JAN

Sr. T.O. Mathura

(3)

मैं कि रतनलाल पुत्र श्री कुन्दन निवासी ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हूं। जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–298 व खसरा नंबर–61 रकवा 3.816 हैक्टेयर लगानी रूबरू कागजात बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिलामथुरा का हिस्सा 1/4 मिल्कियत मेरी है और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 1/4 पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 1/4 में सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे हिस्से 1/4 का बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि

ह. रतनलाल

भारतीय गैर न्यायिक
Rs 20000 रु
बीस हज़ार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH J82128

(4)

या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा 1/4 एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 600000/—रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/4 की स्टाम्प हेतु मालियत 1500000/—रूपया है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी हिस्सा 1/4 अपने सम्पूर्ण अंश भूमे को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 1500000/—पन्द्रह लाख रूपये जिसके आधे 750000/—सात

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 182027

17 JAN 200[illegible]

St. T.O. Mathura

(5)

लाख पचास हजार रूपया होते हैं। बदस्त प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैकतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया खरीदार से इलाहाबाद बैंक मथुरा शाखा के तीन किता चैक प्रथम नंबर–507870 दिनांक–10.10.2006 तादादी 200000/–रूपये व द्वितीय नंबर–169704 दिनांक–81.2007 तादादी 700000/–रूपये व तृतीय नंबर–169705 दिनांक–8.12007 तादादी 600000/–रूपये द्वारा पाकर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/4 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/4 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व

(19-1-07) 25000 ...

कार्यालय, मथुरा

विक्रय पत्र

1,500,000.00/	1,415,000.00	5,000.00	20	5,020.00	900
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती रतन लाल
पुत्र / पत्नी श्री कुन्दन
पेशा कृषि
निवासी स्थायी आन्यौर
अस्थायी पता मथुरा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 23/1/2007 समय 2:55PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
23/1/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती रतन लाल
पुत्र/पत्नी श्री कुन्दन
पेशा कृषि
निवासी आन्यौर

क्रेता
श्री/श्रीमती रासबिहारी
पुत्र/पत्नी श्री मोहन लाल
पेशा व्यापार
निवासी पाठक गली

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री श्याम सिंह
पुत्र श्री राम सिंह
पेशा व्यापार
निवासी वृन्दावन गेट
व श्री अमर चन्द
पुत्र श्री शिव लाल
पेशा व्यापार
निवासी आन्यौर
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
23/1/2007

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु   Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते   सत्यमेव जयते

Rs 20000 रु   INDIA NON JUDICIAL   Rs 20000 रु

182126

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

STAMP

17 JAN

Sr. T.O. Mathura

(6)

मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/4 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विकेता व केता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

182125

(7)

आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश हिस्सा 1/4 बेचा है। अब विकेता का कोई भी अंश शेष नहीं है मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर–560 पर दिनांक–30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को केता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

03AA 899430

Sr. T.O. Mathura

(8)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–19.1.2007
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

माया प्रकाश वाजपेयी
उप रोकड़िया
कोषागार, मथुरा

आज दिनांक **23/01/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **2184**

पृष्ठ सं. **111** से **128** पर कमांक **800**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

23/1/2007

नक्शा नजरी आबादी स्थित मौजा ऊ. चौ.
खसरा नं. 61 नवलपुर
निवेदक रतन लाल
रकबा 3.81 हैक्टेयर का 1/4 भाग विक्रय हेतु

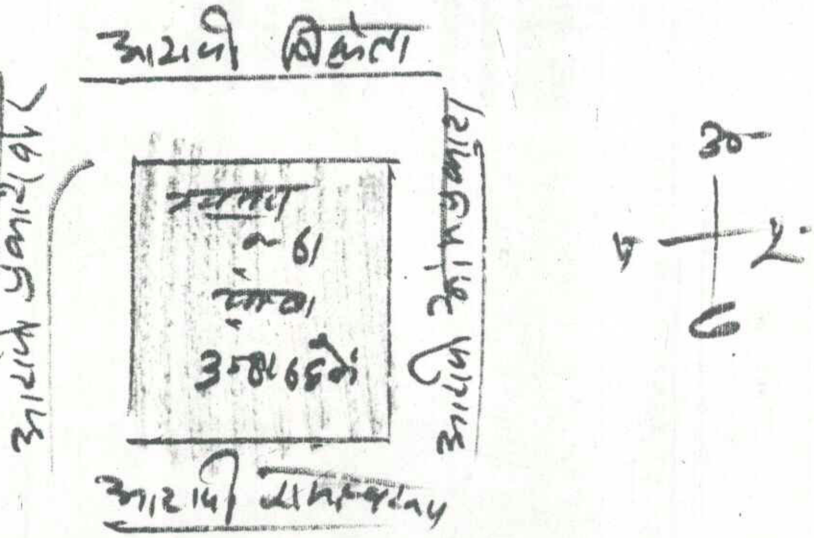

का० नि० रतन लाल

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	1:
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00298	रामसिह रतन लाल पूरन	कुन्दन कुन्दन सामलिया	नि. ग्राम नि. ग्राम नि. ग्राम	1360फ 1360फ	61 86	3.8160 1.2670		1410फ व आदेश श्रीमान रा0 नि0 कोसीखुर्द दि0 01.10.02 के अनुसार खाता सं0 298 पर पूरन मृतक के स्थान पर रामस्वरूप व हरपाल सिंह पुत्रगण पूरन नि0 ग्राम बतौर वारिस दर्ज हो। ह0 ले0 01.10.02 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.698 TM ता.फै.2.3.07 के अनुसार खाता संख्या 298 गाटा सं.61/3.816 भू.रा.60ख अनुसार के 1/4 भाग से विक्रेता रतनलाल पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन कालौनी बिरजापुर का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 23.1.07 के आधार पर बतौर सं.भू. अंकित हो। ह.RK.2.3.07	
					कुल गाटे : 2	कुल क्षे : 5.0830	83.85		

38

हस्ताक्षर

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या– 85 / 2007–2008

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0
मौजा आन्योर

नकल आदेश

प्रार्थी प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी गोजीकुंज एक्सटेंशन विरजापुर मथुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया है कि मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 486 खसरा सख्या 45 / 8 रकवा 0.676हे. व खाता संख्या–204 खसरा संख्या–59 रकवा 0.612हे व खाता संख्या–298 खसरा संख्या–61 रकवा 0.954है. भूराजस्व 34.40 पैसे के संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि को आवादी के उपयोग में लाना चाहते हैं, जिसके कारण कृषि से भूमि का उपयोग आवादी किया जाना आवश्यक है । प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त भूमि को आवादी घोषित किया जाय । उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक 22.12...2007 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–486 खसरा सख्या 45 / 8 रकवा 0.676हे. व खाता संख्या–204 खसरा संख्या–59 रकवा 0.612हे व खाता संख्या–298 खसरा संख्या–61 रकवा 0.954है. भूराजस्व 34.40 पैसे के प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी गोजीकुंज एक्सटेंशन विरजापुर मथुरा संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है जो कृषि भूमि की परिभाषा के अन्तर्गत आच्छादित है । तहसीलदार, मथुरा द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है ।

अतः तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या प्राप्त होने पर दिनांक–17..1..2008 को गांव सभा आन्योर द्वारा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), मथुरा को सूचना–पत्र भेजा गया । प्रश्नगत भूमि मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। गांव सभा / राज्य सरकार की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), मथुरा द्वारा बहस के दौरान उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः शपथ–पत्र एवं तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक–22.12...2007 के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0 की धारा 143 के अन्तर्गत मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–486 खसरा सख्या 45 / 8 रकवा 0.676हे. व खाता संख्या–204 खसरा संख्या–59 रकवा 0.612हे व खाता संख्या–298 खसरा संख्या–61 रकवा 0.954है. भूराजस्व 34.40 पैसे को कृषिक से आवादी इस शर्त के साथ उदघोषित किया जाता है कि आवादी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाने पर यह उदघोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी । उक्त भूमि पर मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के सभी नियम / अधिनियम यथावत् लागू रहेंगें ।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

1– प्रतिलिपि उप निबन्धक, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार पंजीकृत कर अनुपालन आख्या भिजवायें ।

2– प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार अभिलेखों में इन्द्राज कराकर नकल खतौनी सहित अनुपालन आख्या भेजना सुनिश्चित करें।

18/01/08

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

1551
नाम प्रार्थी प्रतापसिंह
प्र0पत्र देने का दि0 23/1/08
7-
नकल तैयारी का दि0 24/1/08
जारी करने का दि0 24/1/08

सत्य प्रतिलिपि
अहलमद, उपजिलाधिकारी
मथुरा
24/1/08